न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः–07 / 2019

1. श्री जगदीश पिता भैरूलाल जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी गोमाना तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ राज.
2. श्री दुर्गालाल पिता भैरूलाल जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी गोमाना तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ राज.

–– वादीगण

बनाम

1. श्रीमती विद्याबाई पिता प्रभुदास पत्नी सुरेशदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी चौहान खेडा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ राज.
2. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ राज.

–– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88–188–209 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री समरथ साहु– अभिभाषक वादी

श्री कमलेश सुथार– अभिभाषक प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 23.09.2021

1. वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955 का पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा गोमाना पटवार हल्का गोमांना की आराजी नं. 1827 रकबा– 0.52 हैक्ट. आराजी नं. 1828 रकबा 0.06, आराजी नं. 1829 रकबा 0.44 हैक्ट0, आराजी नं. 1840 / 2041 रकबा 0.41 हैक्ट0, कुल किता 04 रकबा 1.43 हैक्ट0 स्थित है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी मे से अपना 1 / 4 हिस्सा प्रभुदास पिता मगनीराम दास बैरागी ने वादीगणो को बिल एवज 175000 अक्षरे एक लाख पचोतर हजार रूपया में दिनांक 01 / 06 / 1998 को विक्रय कर दी थी। तभी से वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त आराजी विकय करने के बाद प्रभुदास

पिता मगनीराम दास की मृत्यु हो गई है। प्रभुदास पिता मगनीदास की जायन्दा पुत्री प्रतिवादी क्रमांक 1 है।

2. वादीगण ने वाद में आगे अंकित किया की आराजी क्रय करने के बाद वादीगणो की अनभिज्ञता के कारण विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण अपने नाम पर नही करा पाये और प्रभुदास की मृत्यु के बाद भी वादग्रस्त आराजी प्रतिवादिया के पिता के नाम पर ही चली आ रही है । जबकि वादीगण विक्रय पत्र दिनांक 01/06/1998 की रूह से वादग्रस्त आराजी के खातेदार हो गये है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादग्रस्त आराजीयात पर वादीगणो को खातेदारी की घोषणा का आदेश प्रदान करे।

3. प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को जरिये सम्मन सूचित किया गया जिससे दिनांक 23.09.2021 को लोक अदालत कि भावना से प्रतिवादीया स्वयं जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया की मौजा गोमाना पटवार हल्का गोमाना की आराजी नं. 1827 रकबा– 0.52 हैक्ट. आराजी नं. 1828 रकबा 0.06, आराजी नं. 1829 रकबा 0.44 हैक्ट0, आराजी नं. 1840/2041 रकबा 0.41 हैक्ट0, कुल किता 04 रकबा 1.43 हैक्ट0 का 1/4 हिस्सा स्र्वगीय प्रभुदास पिता मगनीराम दास जाति वैरागी के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिसे मेरे पिता ने वादीगण जगदीश, दुर्गालाल पिता भैरूलाल को 01.06.1998 को विक्रय कर दी थी तथा उनका ही कब्जा है तथा मै मेरे पिता की एकमात्र वारिस हू तथा उक्त आराजीयात को वादीगण के नाम दर्ज कि जावे तो मुझे कोई आपत्ति नही है।

4. पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा सलग्न दस्तावजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन कर मनन किया गया जमाबंदी सवत् 2075 से 2078 का अवलोकन किया गया जिसमे विवादग्रस्त आराजीयात का 1/4 हिस्सा प्रभुदास पुत्र मगनीरामदास के नाम दर्ज रिकार्ड है संलग्न पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.06.1998 का अवलोकन किया गया जिसमे उक्त विवादग्रस्त आराजीयात का 1/4 हिस्सा प्रतिवादीया के पिता स्र्वगीय प्रभुदास पिता मगनीरामदास ने वादीगण को विक्रय किया है। संलग्न नामांतरण पंजिका 677 का अवलोकन किया गया जोकि वादीगण के नाम पर दर्ज हो चुका था विक्रेता प्रभुदास पिता मगनीरामदास कि पुत्री जोकि प्रतिवादीया क्रमांक 1 है जिसने लोक अदालत की भावना से न्यायालय में पीठासीन अधिकारी समक्ष स्वयं जरिये

अभिभाषक उपस्थित होकर वाद को स्वीकार कर विवादग्रस्त आराजीयात का 1/4 हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड करने की सहमति जाहिर की है। उपरोक्त विवेचना स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात को वादीगण ने क्रय की है तथा उन्ही के स्वामित्व व आधिपत्य की होने से उन्ही के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

5. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मौजा गोमाना पटवार हल्का गोमाना की आराजी नं. 1827 रकबा– 0.52 हैक्ट. आराजी नं. 1828 रकबा 0.06, आराजी नं. 1829 रकवा 0.44 हैक्ट0, आराजी नं. 1840/2041 रकबा 0.41 हैक्ट0, कुल किता 04 रकबा 1.43 हैक्ट0 का 1/4 हिस्सा पर वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदेशित किया जाता है कि मौजा गोमाना पटवार हल्का गोमाना की आराजी नं. 1827 रकबा– 0.52 हैक्ट. आराजी नं. 1828 रकबा 0.06, आराजी नं. 1829 रकबा 0.44 हैक्ट0, आराजी नं. 1840/2041 रकबा 0.41 हैक्ट0, कुल किता 04 रकबा 1.43 हैक्ट0 पर विक्रेता स्वर्गीय प्रभुदास पिता मगनीरामदास के बजाए वादीगण के नाम दर्ज किया जावे। डिक्री पृथक से जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.09.2021 को सरे इजलास सुनाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़

मुल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

बइजलास श्री विनोद कुमार मल्होत्रा **(R.A.S.)** उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

प्रकरण संख्याः–07 / 2019

1. श्री जगदीश पिता भैरूलाल जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी गोमाना तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ राज.
2. श्री दुर्गालाल पिता भैरूलाल जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी गोमाना तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ राज.

—— वादीगण

बनाम

1. श्रीमती विद्याबाई पिता प्रभुदास पत्नी सुरेशदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी चौहान खेडा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ राज.
2. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ राज.

—— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 आर.टी. एक्ट 1955

दिनांकः–23.09.2021

यह मुकद्मा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी बइजलास श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस. व हाजरी अधिवक्ता वादी श्री समरथ साहू मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री कमलेश सुथार मिनजानिब मुद्दायल पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं राजीनामा अनुसार डिक्री की जाती है कि मौजा गोमाना पटवार हल्का गोमाना की आराजी नं. 1827 रकबा– 0.52 हैक्ट. आराजी नं. 1828 रकबा 0.06, आराजी नं. 1829 रकबा 0.44 हैक्ट0, आराजी नं. 1840 / 2041 रकबा 0.41 हैक्ट0, कुल किता 04 रकबा 1.43 हैक्ट0 का 1 / 4 हिस्सा पर वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदेशित किया जाता है कि मौजा गोमाना पटवार हल्का गोमाना की आराजी नं. 1827 रकबा– 0.52 हैक्ट. आराजी नं. 1828 रकबा 0.06, आराजी नं. 1829 रकबा 0.44 हैक्ट0, आराजी नं. 1840 / 2041 रकबा 0.41 हैक्ट0 कुल किता 04 रकबा 1.43 हैक्ट0 पर विक्रेता स्वर्गीय प्रभुदास पिता मगनीरामदास के बजाए वादीगण के नाम दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 23.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी की गयी।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़ (राज0)

वाद के खर्चे					
मुदई			मुदायल		
	रूपया	पैसे		रूपया	पैसे
1 स्टाम्प आराजी दावा	01		1 स्टाम्प आराजी दावा		
2 स्टाम्प वकालात नामा	02		2 स्टाम्प वकालात नामा		
3 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			3 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
4 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			4 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
5.............. रूपये पर प्लीडर की फीस			5.......... रूपये पर प्लीडर की फीस		
6 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय			6 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		
7 कमिश्नर की फीस			7 कमिश्नर की फीस		
8 आदेशिका की तामिल			8 आदेशिका की तामिल		
जोड़	03		जोड़		

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़ (राज0)